विनियम क्रमांक - 22

दानदाता- महामहिम राष्ट्रपति डॉ. शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल

दानराशि- रूपये 10,000/- स्वर्ण पदक हेतु

स्वरूप-

1. यह पदक प्रेसीडेण्ट ऑपफ इण्डिया, डॉ. शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल कहलायेगा, जो स्वर्ण पदक के एक ओर अंकित होगा।

2. यह स्वर्ण पदक प्रतिवर्ष दीक्षान्त समारोह अथवा स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह में प्रदान किया जावेगा उसकी सूचना दानदाता को दी जावेगी।

3. दानदाता व्दारा जमा की गई राशि विश्वविद्यालय व्दारा सावधि खाते में रखी जावेगी। इसकी ब्याज की राशि से प्रति वर्ष स्वर्ण पदक प्रदान किया जावेगा।

4. पदक प्रदान करने का निर्णय विश्वविद्यालय के कुलपति व्दारा मनोनीत समिति की अनुशंसा पर कुलपति व्दारा किया जायेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।

5. स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संकायों को तीन भागों में निम्नानुसार विभक्त क्रमानुसार बारी बारी से स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा।

ग्रुप :

1. कला, समाज विज्ञान, शिक्षा तथा वाणिज्य संकाय
2. विज्ञान, जीवन विज्ञान, तथा गृह विज्ञान
3. चिकित्सा, अभियांत्रिक तथा विधि

पात्रता :

०1œ छात्र के विरूध्द किसी भी न्यायालय में दाण्डिक प्रकरण लंबित न हो और न ही किसी आपराधिक प्रकरण में उसे सजा मिली हो। इसके लिये आवेदक को न्यायालय का शपथपत्र देना होगा।

०2œ छात्र किसी शैक्षणिक संस्था से निष्कासित न किया गया हो और न ही उसके विरूध्द अनुशासनहीनता या किसी भी परीक्षा में नकल का कोई प्रकरण सिध्द हुआ हो।

०3œ स्वर्णपदक का प्रदाय उस मेधावी छात्र को होगा जिसकी विश्वविद्यालय स्तर की सभी परीक्षायें ओर सतत अकादमिक उपलब्धियां प्रथम श्रेणी की हों, जो शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के क्षेत्र में समानुरूप दक्ष हो।

०4œ इस पदक हेतु विश्वविद्यालय में छात्र को स्वतः आवेदन शैक्षणिक सत्र में अक्टूबर तक संस्था प्रमुख के माध्यम से करना होगा।

पात्रता निर्धारण -

1- स्वर्ण पदक की पात्रता निर्धारण अंकों के आधार पर होगा । इस हेतु कुल 100 अंक नियत है। उनमें 60 प्रतिशत अंक अकादमिक उपलब्धियों के होंगे, जो विश्वविद्यालय स्तर की सभी परीक्षाओं के अंकों के औसत से तय किया जायेगा।

अ- सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये 20 प्रतिशत अंक और समाज सेवा के लिये 20 प्रतिशत अंक रहेंगे। सांस्कृतिक गतिविधियों में साहित्य, चित्रकला और स्थापत्य, संगीत और नृत्य वा रंग-मंच को शामिल किया जायेगा। प्रत्येक विधा के लिये 5 अंक होंगे। इनका दिया जाना इस प्रकार होगा -

विश्वविद्यालय स्तर रू 1 अंक

अन्तर्विश्वविद्यालयीन राज्य स्तर रू 2 अंक

जोनल रू 3 अंक

राष्ट्रीय स्तर रू 4 अंक

राष्ट्रीय स्तर पर विशेष सहभागिता रू 5 अंक

पुरस्कार

शासकीय, अर्ध्दशासकीय तथा शासन की ओर से संचालित स्वायत्त उपक्रमों से प्राप्त पुरस्कारों को भी अंक निर्धारण हेतु मान्य किया जायेगा।

ब- समाज सेवा के अंक में राज्य अथवा अर्ध्दशाकीय संस्थाओं व्दारा उत्कृष्ठ सेवाओं हेतु प्रदत्त प्रशस्ति-पत्र तथा राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा हेतु उल्लेखनीय योगदान शौर्य और जीवन रक्षा के लिये प्राप्त पुरस्कार को मान्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त एन0एस0एस0 और खेलकूद में दक्षता को आधार बनाया जायेगा समाज सेवा के क्षेत्र में 20 प्रतिशत अंकों का निर्धारण इस प्रकार होगा -

1. समाज सेवा के क्षेत्र में राज्य अथवा अर्ध्दशासकीय संस्था व्दारा उत्कृष्ट सेवाओं हेतु प्रदत्त प्रशस्ति-पत्र 3 अंक

2. राष्ट्रीय स्तर पर समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान हेतु 4 अंक

3. राज्य शासन/राष्ट्रीय स्तर पर शौर्य हेतु प्रदत्त पुरस्कार या जीवन 5 अंक

रक्षा हेतु पुरस्कृत होने पर

4.	1. राष्ट्रीय कैडेट कोर	ए प्रमाणपत्र	1 अंक
		बी प्रमाणपत्र	2 अंक
		सी प्रमाणपत्र	3 अंक
		डी प्रमाणपत्र	4 अंक

राष्ट्रीय कैडेट कोर में गणतंत्र दिवस परेड ०नई दिल्लीœ में प्रतियोगिता पर 5 अंक

5. राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत प्रदत्त किये जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं नई दिल्ली में प्रति वर्ष आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड सम्मिलित होने वाले छात्र को उपरोक्त आधार पर ही अंक दिया जायेगा।

6. खेलकूद-

1.	अन्तर्विश्वविद्यालयीन खेलकूद प्रतियोगिता में सदस्य के रूप में विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व करने पर	1 अंक
2.	कप्तान के रूप में प्रतिनिधित्व करने पर	2 अंक
3.	अन्तर्विश्वविद्यालयीन राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में विजयी होने पर	3 अंक
4.	अन्तर्विश्वविद्यालयीन जोनल स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में पुरस्कृत होने पर	4 अंक

5. राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होन पर 5 अंक